कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
द्वितीय तल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ0प्र0।

संख्या–एम0ई0–3/2026/2043 लखनऊः दिनांक 18/11/2026

यू0पी0 नीट यू0जी0 2026 काउंसिलिंग (बी0डी0एस0 पाठयक्रम) के अन्तर्गत पंचम चक में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/दिशा–निर्देश।

1. यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 की पंचम चक की काउंसिलिंग हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 के पूर्व के किसी भी चक की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हो।
2. यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 के पंचम चक की काउंसिलिंग हेतु नीट यू0जी0–2026 की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग एवं अन्य राज्यों की काउंसिलिंग के किसी भी चक के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।
3. यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकन्सी राउण्ड से Alloted/Admitted/Not Reported after allotment/Resigned अभ्यर्थी पंचम चक की काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं है।
4. यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 की पंचम चक की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से रु0 2,000/– पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा, अर्थात Non Refundable होगा।
5. प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें पंचम चक की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
6. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पूर्व चको की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया गया है एवं प्रथम बार उक्त काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
7. ऐसे अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है, उन्हें रु0 1,00,000/– की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी, जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
8. काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है, कि धरोहर धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें, समस्त चक की काउन्सिलिंग समाप्त होने के उपरान्त अनावंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में नियमानुसार वापस की जायेगी, जिस खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान किया गया है।
9. नीट यू0जी0–2026 में अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय https://upneet.gov.in पर अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगा। अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर की सूची यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 के ब्रोशर में दी गयी है।
10. अभिलेखों के ऑनलाईन सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अभिलेख https://upneet.gov.in पर अपलोड किये जायेंगे :–
    - हाईस्कूल मार्कशीट/प्रमाण–पत्र
    - इण्टरमीडिएट मार्कशीट
11. उत्तर प्रदेश राज्य में निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजो पर आरक्षण की व्यवस्था अनुमन्य नहीं है।
12. उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

13. यदि कोई अभ्यर्थी पंचम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट यू0जी0 काउंसिलिंग 2027–28 के लिये प्रतिबंधित (Debar) कर दिया जायेगा।

14. यू0पी0 नीट यू0जी0 2026 का शासनादेश एवं ब्रोशर विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in तथा https://dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक